सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षाकरीता "सामुहिक पातळीवर ठोस वनरोपण कार्यक्रम" (४४०६ ०४९२) या योजनेंतर्गत अभिसरणांतर्गत करावयाच्या पूर्व पावसाळी व प्रथम वर्षीय कामांसाठी निधी वितरीत करण्याबाबत.

# महाराष्ट्र शासन महसूल व वन विभाग

शासन निर्णय क्रमांक:- साववि-२०२४/प्र.क्र.२०/फ-११

मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ दिनांक:- ०४ सप्टेंबर, २०२४

#### <u>वाचा</u>-:

- 9) महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक-साववि-२०२२/प्र.क्र.५८/फ-१९, दिनांक २८.०७.२०२३
- २) महसूल व वन विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक -साववि-२०२४/प्र.क्र.१०(भाग-१)/फ१९, दिनांक ०४.०३.२०२४
- ३) महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय समक्रमांक दिनांक १८.०४.२०२४, दिनांक ०३.०५.२०२४, दिनांक १०.०५.२०२४, दिनांक २८.०५.२०२४, दिनांक ०१.०७.२०२४, दिनांक ०३.०७.२०२४, दिनांक २६.०७.२०२४, व दिनांक १४.०८.२०२४.
- ४) महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक -साववि-२०२४/प्र.क्र.३५/फ-१९, दिनांक २७.०६.२०२४ व दिनांक ०९.०७.२०२४.
- ५) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं -२०२३/प्र.क्र.८०/अर्थ-३, दिनांक २५.०७.२०२४
- ६) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख) म.रा.नागपूर, यांचे क्रमांक कक्ष-१/पी/यो /नबाप्र/प्र.क्र. ०२/४७/२०२४-२५, दिनांक १३.०८.२०२४ रोजीचे पत्र.
- ७) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख) म.रा.नागपूर, यांचे क्रमांक कक्ष-१/पी/यो /नबाप्र/प्र.क्र. ०२/४७१/२०२४-२५, दिनांक १३.०८.२०२४ रोजीचे पत्र.
- ८) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख) म.रा.नागपूर, यांचे क्रमांक कक्ष-१/पी/यो /नबाप्र/प्र.क्र. ०२/४८७/२०२४-२५, दिनांक १६.०८.२०२४ रोजीचे पत्र.
- ९) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख) म.रा.नागपूर, यांचे क्रमांक कक्ष-१/पी/यो /नबाप्र/प्र.क्र. ०२/५२६/२०२४-२५, दिनांक २७.०८.२०२४ रोजीचे पत्र.
- १०) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख) म.रा.नागपूर, यांचे क्रमांक कक्ष-१/पी/यो /नबाप्र/प्र.क्र. ०२/५३६/२०२४-२५, दिनांक ३०.०८.२०२४ रोजीचे पत्र.
- ११) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख) म.रा.नागपूर, यांचे क्रमांक कक्ष-१/पी/यो /नबाप्र/प्र.क्र. ०२/५४३/२०२४-२५, दिनांक ०२.०९.२०२४ रोजीचे पत्र.

#### <u>प्रस्तावना</u>-:

वन आणि वनेतर क्षेत्रात वृक्ष लागवड व संवर्धन करण्याकरीता सन २०२४-२५ करीता "सामुहिक पातळीवर ठोस वनरोपण कार्यक्रम (४४०६ ०४९२)" या राज्य योजनेंतर्गत रु.६०५६०.०० लक्ष इतका निधी (०२-मजूरी अंतर्गत रु. ३७६८९.६० लक्ष, १३-कार्यालयीन खर्च अंतर्गत रु. ०.०१ लक्ष, २१-पुरवठा व सामग्री अंतर्गत रु. २०८३९.३८ लक्ष, २४- पेट्रोल, तेल व वंगण अंतर्गत रु. ०.०१ लक्ष आणि ५०-इतर खर्च अंतर्गत रु. २०३१.०० लक्ष ) अर्थसंकल्पित करण्यात आला आहे.

- ०२. संदर्भाधीन वाचा क्रमांक ५ अन्वये वित्त विभागाच्या दि. २५.०७.२०२४ रोजीच्या परिपत्रकान्वये वित्तीय वर्ष २०२४-२५ च्या अर्थसंकल्पीय तरतूदींची मासिक निधी विवरणपत्रे, अर्थसंकल्पीय अंदाज, वाटप आणि संनियंत्रण प्रणालीवर (बीम्स) प्रशासकीय विभागांकडून नोंदविण्यात आल्यानंतर विविध उद्दिष्टांसाठी सन २०२४-२५ च्या प्रथम नऊमाहीकरीता (डिसेंबर, २०२४ अखेर) आवश्यक असणारा अनिवार्य व कार्यक्रमांतर्गत खर्चाचा अर्थसंकल्पीत निधी एकूण वार्षिक तरतूदीच्या ६० आणि ७० टक्केच्या मर्यादेत अर्थसंकल्पीय अंदाज, वाटप आणि संनियंत्रण प्रणालीव्दारे (बीम्स) वितरीत केला जाईल. सदर मासिक विवरणपत्रानुसार निधी एप्रिल ते डिसेंबर, २०२४ या कालावधीमध्ये पुढे / मागे ओढून घेण्याची सुविधा अर्थसंकल्पीय अंदाज, वाटप आणि संनियंत्रण प्रणालीवर (बीम्स) देण्यात आली आहे. निधी वितरीत करताना मासिक निधी विवरणपत्रात (Cash Flow Statement) ज्या दरमहा खर्च रकमा दर्शविण्यात आलेल्या आहेत त्याच्याशी सुसंगत असाव्यात असे नमुद करण्यात आले आहे.
- ०३. संदर्भाधीन क्रमांक १ येथे नमूद दि. २८.०७.२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये वनीकरण तसेच वन क्षेत्रातील मृद व जलसंधारणाची सर्व कामे ही महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना व वन विभागांतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या योजनांचे अभिसरण करून घेण्यास व उर्वरित फरकाची रक्कम योजनेंतर्गत उपलब्ध तरतुदीमधून अदा करण्यास मान्यता प्रदान करण्यात आलेली आहे. सदर शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार "सामुहिक पातळीवर ठोस वनरोपण कार्यक्रम (४४०६ ०४९२)" या राज्य योजनेंतर्गत करण्यात येणारी कामे सुध्दा अभिसरणांतर्गत करणे आवश्यक आहे. त्यानुसार संदर्भाधीन क्रमांक ३ येथील दिनांक १८.०४.२०२४, दिनांक ०३.०५.२०२४, दिनांक १०.०५.२०२४, दिनांक २८.०५.२०२४, दिनांक ०१.०७.२०२४, हिनांक ०१.०७.२०२४, दिनांक ०१.००२४, हिनांक ०१.००२२४, हिनांक ०१.००२४, हिनांक १४.००२४, ह

- रु. ३५२.३६ लक्ष, रु. ३०२.९० लक्ष, रु. ११५७.८२ लक्ष व रु.१६०८.७२ लक्ष असा एकूण रु. १८७९८.४६ लक्ष इतका निधी वितरीत करण्यात आला आहे.
- ०४. संदर्भाधीन वाचा क्रमांक ६ ते ११ येथील विविध पत्रान्वये "सामुहिक पातळीवर ठोस वनरोपण कार्यक्रम" (४४०६ ०४९२) या अंतर्गत सन २०२४-२५ या वर्षाकरीता अभिसरण या योजनेअंतर्गत पावसाळ्यातील लागवड करावयाच्या (प्रथम वर्ष) रोपवन बांधील कामांसाठी तसेच "विनकरणाचा भरगच्च कार्यक्रम", "महत्त्वाचे रस्ते/ रेल्वे/ कालवे/ दुतर्फा वृक्ष लागवड", "महत्त्वाचे रस्ते/ रेल्वे/ कालवे/ दुतर्फा वृक्ष लागवड अंतर्गत गट लागवड", "महत्त्वाच्या रस्त्यांच्या दुतर्फा असणाऱ्या टेकडयांचे हरितीकरण" कार्यक्रमांतर्गत पूर्व पावसाळी कामे व बांधील कामांसाठी (प्रथम वर्ष) प्रस्ताव शासनास सादर करून एकूण रु ३६९.४४ लक्ष इतका निधी वितरीत करण्याबाबत विनंती करण्यात आली आहे.

## शासन निर्णय:-

सन २०२४-२५ या वित्तीय वर्षात (००)(०६) "सामुहिक पातळीवर ठोस वनरोपण कार्यक्रम (४४०६ ०४९२)" या योजनेंतर्गत "वनीकरणाचा भरगच्च कार्यक्रम" अंतर्गत अभिसरणाव्दारे करण्यात येत असलेल्या पूर्व पावसाळी कामांकरीता मंजूर अंदाजपत्रकानुसार योजनांतर्गत तरतुदीमधून खालील तक्त्यात नमूद केल्यानुसार वन वृत्त/विभाग निहाय निधी वितरित व खर्च करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे.

|       | (रु. लाखात)                            |                    |              |  |  |  |  |
|-------|--|--------------------|--------------|--|--|--|--|
| 9     | ર                                      | 3                  | 8            |  |  |  |  |
| अ.क्र | योजनेचे नाव                            | पूर्व पावसाळी कामे | प्रथम वर्षीय |  |  |  |  |
|       |  |                    | कामांसाठी    |  |  |  |  |
| 9     | वनीकरणाचा भरगच्च कार्यक्रम             | ۷۶.۰۷              | २०४.८४       |  |  |  |  |
| 2     | रस्ते/रेल्वे/कालवे/दुतर्फा वृक्ष लागवड | २२.०१              | ५२.४०        |  |  |  |  |
| 3     | गट लागवड कार्यक्रम                     | 8.98               | 8.90         |  |  |  |  |
|       | एकूण                                   | 900.23             | २६२.२१       |  |  |  |  |

| वनिकरणाचा भरगच्च कार्यक्रम अंतर्गत कामाचा तपशील |                         |             |            |                |                              |               |           |
|---|-------------------------|-------------|------------|----------------|------------------------------|---------------|-----------|
| अ.क्र.  | वनवृत्त                 | वनविभाग     | कामाची     | हेक्टर         | पूर्व पावसाळी व प्रथम वर्षीय |               |           |
|   |                         |             | बाब        | आर.            | कामांकरीता                   | सदर           | शासन      |
|   |                         |             |            |                | निर्णयाद्वारे 1              | वितरित कर     | ण्यात येत |
|   |                         |             |            |                | असलेला निधी                  |               |           |
|   |                         |             |            |                | (रू.लाखात)                   |               |           |
|   |                         |             |            |                | ०२-मजुरी                     | २१–           | एकूण      |
|   |                         |             |            |                |                              | साहित्य       |           |
|   |                         |             |            |                |                              | पुरवठा        |           |
| ٩   | २                       | 3           | 8          | ч              | દ્દ                          | (9            | ۷         |
| ٩.  | नाशिक                   | पश्चिम भाग, | पूर्व      | ७५.००          | ५६.३४                        | २४.१४         | ۷٥.8۷     |
|   |                         | नाशिक       | पावसाळी    |                |                              |               |           |
|   |                         |             | कामे       |                |                              |               |           |
| एकूण  | एकूण पूर्व पावसाळी कामे |             |            | <b>64.</b> 00  | ५६.३३                        | २४.१४         | ۷۰.8۷     |
| 9   | नाशिक                   | पश्चिम भाग, | प्रथम वर्ष | ७५.००          | 9६.६५                        | ७.१४          | २३.७९     |
|   |                         | नाशिक       |            |                |                              |               |           |
| एकूण  | एकूण नाशिक              |             |            | ७५.००          | 9६.६५                        | ७.१४          | २३.७९     |
| २   | अमरावती                 | अकोला       |            | ξο <u>.</u> 00 | 99.97                        | 4.99          | 90.03     |
|   |                         | अमरावती     |            | 944.00         | २२.३०                        | ९.५६          | ३٩.८६     |
| 3   | धुळे                    | नंदुरबार    |            | ५६०.००         | ९२.५१                        | ३९.६४         | 937.9६    |
| एकूण प्रथम वर्षीय कामे                          |                         |             |            | ८५०            | 983.39                       | <b>६</b> 9.8५ | २०४.८४    |
| एकूण एकंदर                                      |                         |             |            | ९२५            | 988.65                       | ८५.६०         | २८५.३२    |

| रस्ते/ रेल्वे/ कालवे/ दुतर्फा वृक्ष लागवड कामांचा तपशील |              |           |         |                |  |            |              |  |
|---|--------------|-----------|---------|----------------|--|------------|--------------|--|
| अ.क्र   | वनवृत्त      | वनविभाग   | कामाची  | कि.मी/         | सदर शासन निर्णयाद्वारे पूर्व पावसाळी व व |            |              |  |
|   |              |           | बाब     | हेक्टर         | प्रथम वर्षीय कामांकरीता वितरित           |            |              |  |
|   |              |           |         |                | करण्यात येत असलेला निधी (रू.लाखा         |            |              |  |
|   |              |           |         |                | ०२-मजुरी                                 | २१-साहित्य | एकूण         |  |
|   |              |           |         |                |  | पुरवठा     |              |  |
| ٩   | २            | 3         | 8       | ч              | ξ  | 6          | ۷            |  |
| ٩.  | नाशिक        | अहमदनगर   | पूर्व   | ७४ <b>.</b> ५० | ۷۵.۵                                     | ٥٤.٤       | १२.६८        |  |
|   |              | धुळे      | पावसाळी | २              | 0.20                                     | 0.09       | 0.29         |  |
|   | एकुण नाशिक   |           |         | ७६.५०          | ९.०८                                     | 3.८९       | 92.९७        |  |
| ٦.  | नागपूर       | वर्धा     |         | Ę              | १.०६                                     | 0.84       | 9.49         |  |
|   | एकुण नागपूर  |           |         | Ę              | १.०६                                     | 0.84       | 9.49         |  |
| 3   | छत्रपती      | छत्रपती   |         | 36             | 4.20                                     | २.२६       | ७.५३         |  |
|   | संभाजीनगर    | संभाजीनगर |         |                |  |            |              |  |
|   | एकुण छत्रपती |           |         | 3८             | 4.20                                     | २.२६       | ७.५३         |  |
|   | संभाजीनगर    |           |         |                |  |            |              |  |
| एकूण पूर्व पावसाळी                                      |              |           |         |                |  |            | २२.०१        |  |
| ٩.  | नाशिक        | धुळे      | प्रथम   | २              | ०.९६                                     | 0.89       | 9.30         |  |
|   |              | अहमदनगर   | वर्ष    | ७४ <b>.</b> ५० | ५१.०३                                    | 0.00       | 49.03        |  |
| एकूण प्रथम वर्ष   |              |           |         | ७६.५०          | ५१.९९                                    | 0.89       | ५२.४         |  |
| एकूण एकंदर  |              |           |         | 990            | ५२.०९                                    | २२.३२      | <b>68.89</b> |  |

| गट लागवड कामांचा तपशील (अभिसरण) |         |         |            |                                       |             |                            |             |  |
|---------------------------------|---------|---------|------------|---------------------------------------|-------------|----------------------------|-------------|--|
| अ.क्र.                          | वनवृत्त | वनविभाग | कामाची     | हेक्टर सदर शासन निर्णयाद्वारे पूर्व प |             |                            | र्व पावसाळी |  |
|                                 |         |         | बाब आर.    |                                       | व व प्रथम व | म वर्षीय कामांकरीता वितरित |             |  |
|                                 |         |         |            |                                       | करण्यात     | येत असले                   | ला निधी     |  |
|                                 |         |         |            |                                       | (रू.लाखात)  |                            |             |  |
|                                 |         |         |            |                                       | ०२-मजुरी    | २१-साहित्य                 | एकूण        |  |
|                                 |         |         |            |                                       |             | पुरवठा                     |             |  |
| 9                               | २       | 3       | 8          | ч                                     | Ę           | 0                          | ۷           |  |
| 9                               | नाशिक   | अहमदनगर | पुर्व      | 9२                                    | 3.37        | 9.87                       | 8.08        |  |
|                                 |         |         | पावसाळी    |                                       |             |                            |             |  |
| 9                               | नाशिक   | अहमदनगर | प्रथम वर्ष | 9२                                    | 8.90        | 0.00                       | 8.९७        |  |
|                                 |         |         | कामे       |                                       |             |                            |             |  |
| एकूण एकंदर                      |         |         |            | ર૪                                    | ८.२९        | 9.82                       | ९.७१        |  |

- 3. उपरोक्त तक्त्यात नमूद केल्यानुसार "सामुहिक पातळीवर ठोस वनरोपण कार्यक्रम (४४०६ ०४९२)" या योजनेंतर्गत ०२-मजुरी आणि २१-साहित्य पुरवठा या उद्दिष्टांकरीता योजनेंतर्गत सन २०२४-२५ या करीता अभिसरणांतर्गत करावयाच्या "विनकरणाचा भरगच्च कार्यक्रमासाठी" ९२५ हे.आर, रस्ते/ रेल्वे/ कालवे/ दुतर्फा वृक्ष लागवड कामांकरिता १९७ कि.मी. व गट लागवड कामांकरिता २४ हे.आर असे एकुण ९४९ हे.आर. व १९७ कि.मी. क्षेत्रावरील पूर्व पावसाळी व प्रथम वर्ष कामांकरीता अंदाजपत्रकानुसार योजनांतर्गत अनुक्रमे अनुक्रमे रु. २८५.३२ लक्ष, रु. ७४.४१ लक्ष व रु. ९.७१ लक्ष असे एकूण रु. ३६९.४४ लक्ष इतका निधी वितरीत करण्यात येत आहे.
- 8. सदर निधी हा संबंधित योजनांतर्गत अभिसरणाव्दारे करण्यात येत असलेल्या पूर्व पावसाळी व प्रथम वर्षीय कामांकरीताच खर्च करण्यात यावा. तसेच सदर अभिसरणांतर्गत पूर्व पावसाळी कामांना निधी वितरीत करतांना वन वृत्त/विभाग निहाय कामांचा तपिशल तपासूनच सदर निधी वितरीत करण्याची कार्यवाही अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांच्या कार्यालयाकडून करण्यात यावी.
- ५. सदर निधी नियंत्रक अधिकारी म्हणून अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांच्याकडे सुपूर्त करण्यात येत आहे. नियंत्रक अधिकारी यांनी सदर निधी तात्काळ वितरीत करून त्याबाबतचा अहवाल शासनास सादर करावा. या योजनेंतर्गत करण्यात आलेल्या कामाची अंमलबजावणी कृती आराखड्याप्रमाणे, विहित कार्यपध्दतीनुसार आणि उरिवलेल्या मुदतीत करण्यात आली आहे याबाबतची दक्षता घ्यावी. याबाबत सविस्तर मार्गदर्शक सूचना क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना द्याव्यात आणि अंमलबजावणीबाबत वेळोवेळी आढावा घेण्यात यावा. मंजूर निधीपेक्षा जास्त खर्च होणार नाही याची नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी दक्षता घ्यावी.

- ६. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास) हे वर्ष २०२४-२५ मध्ये सदर योजनेंतर्गत वितरीत केलेल्या निधीबाबत उपयोगिता प्रमाणपत्र ७ दिवसांत शासनास सादर करतील. सदर निधी वितरीत करतांना करण्यात येत असलेली कामे ही संदर्भाधीन क्रमांक १ येथील दिनांक २८.०७.२०२३ मधील तरतुदी, संदर्भाधीन क्रमांक ३ येथील शासन परिपत्रकातील सुचना, शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या सुचना तसेच सक्षम प्राधिकारी यांनी मान्यता दिलेल्या अंदाजपत्रकानुसार तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आल्याची खातरजमा करून निधी वितरणाची कार्यवाही नियंत्रक अधिकारी यांनी करावी. तसेच सदर निधी खर्च करतांना सुध्दा शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या सुचनांचे पालन करण्याबाबतच्या सुचना अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांच्या कार्यालयाकडून संबंधीतांना देण्यात याव्यात.
- ७. सदर निधी वितरित करण्यापूर्वी अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी सदर योजनेसाठी सन २०२४-२५ करीता वितरित केलेला निधी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीव्यतिरिक्त अन्यत्र ठिकाणी वळती केला नसल्याची खात्री करावी.
- ८. सदर निधी खर्च करताना वित्त विभागाच्या संदर्भ क्रमांक ५ येथील शासन परिपत्रकातील तरतूदी व महाराष्ट्र अर्थसंकल्पीय नियम पुस्तिका, वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका यामध्ये उल्लेख केलेल्या तरतुदी व वेळोवेळी दिलेल्या सूचनांचे पालन करण्यात यावे.
- ९. वन वृत्त/विभाग निहाय वितरीत तरतुदीची माहिती व राबविण्यात आलेल्या कार्यक्रमाचा/झालेल्या खर्चाचा तपशील शासनास दरमहा विहित प्रपत्रात सादर करण्यात यावा. तसेच योजनेचे संनियंत्रण प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांच्यामार्फत व्हावे.
- 90. सदर योजनेंतर्गत होणारा खर्च खाली नमूद केलेल्या लेखाशीर्षाखाली सन २०२४-२५ च्या मंजूर अर्थसंकल्पीत निधीतून खर्ची टाकण्यात यावा.

मागणी क्र.सी-१०,

४४०६ वनीकरण व वन्यजीवन यावरील भांडवली खर्च,

(००)(०६) सामुहिक पातळीवर ठोस वनरोपन (४४०६ ०४९२)

०२- मजूरी २१- साहित्य पुरवठा

99. सदर शासन निर्णय, वित्त विभागाचे दिनांक ०9.०४.२०२४ रोजीचे परिपत्रक तसेच वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक-विअप्र/२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग-२, दिनांक १७.०४.२०१५ अन्वये विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारास अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे.

१२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२४०९०४१५४२२९५२१९ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.

(वि. बा. इंगळे) कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन

### प्रत,

- १. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, (वनबल प्रमुख),महाराष्ट्र राज्य, नागपूर.
- २. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, सामाजिक वनीकरण, पुणे.
- ३. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), नागपूर
- ४. मुख्य वनसंरक्षक (प्रादेशिक) (११ वृत्त)
- ५. वनसरंक्षक, सामाजिक वनीकरण (६ वृत्त)
- ६. विभागीय वन अधिकारी, सामाजिक वनीकरण (सर्व जिल्हे)
- ७. महालेखापाल, (लेखापरीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१ व २ , मुंबई व नागपूर,
- ८. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी,
- ९. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई ४०० ०३२.
- १०. निवासी परिक्षा लेखा अधिकारी,मुंबई
- ११. वित्त विभाग, व्यय-१०, अर्थसंकल्प-०६ मंत्रालय, मुंबई-३२
- १२. कार्यासन अधिकारी, फ-२,महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२
- १३. कार्यासन अधिकारी, ब-१,महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२
- १४. उप सचिव/अवर सचिव (सर्व), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२
- १५. निवडनस्ती फ-११.